केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

के.मा.शि.बो/शै./उ.नि.(प.एवं.सु.)/2017 **दिनांक : 24/07/2017**

परिपत्र संख्या : शैक्षणिक-23/2017

के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों के प्रमुख,

विषय : 'कोमल' फिल्म का प्रदर्शन और पॉक्सो (POCSO) ई-बॉक्स की जागरूकता के संबंध में।

बचपन, जीवन का आरंभिक चरण है। इसे चिंता तथा अच्छाई-बुराई से रहित अवस्था के लिए जाना जाता है। यह अनभिज्ञता और मासूमियत दोनों की अवस्था होती है। शिक्षकों, अभिभावकों और संबंधित सभी प्रौढ़ व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से बच्चों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए।

हमारे उत्तरदायित्व, नीति-निर्देश, विधि एवं अनुभव के विभिन्न क्षेत्रों में समाहित बच्चों के लिए क्या सर्वोत्तम हैं, इसे उपलब्ध कराने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। इस संबंध में उपयुक्त आयु होने पर बच्चों को समर्थ एवं सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक लघु एनिमेटेड फिल्म (कोमल) को अधिकृत किया है जिसे अनुचित स्पर्श के बारे में विद्यालयी बच्चो में जागरूकता पैदा करने के लिए 'श्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म' वर्ग में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (अवार्ड) भी प्राप्त हुआ है। यह फिल्म के.मा.शि.बो. के यूट्यूब चैनल पर अपलोड एवं उपलब्ध है। के.मा.शि.बो., 24 अक्टूबर 2015 को दी गई अधिसूचना के माध्यम से पहले भी सभी विद्यालयों को सूचित कर चुका है। निम्नलिखित यू.आर.एल. पर यह फिल्म उपलब्ध है :

कोमल (अंग्रेज़ी) = https://www.youtube.com/watch?v=3WyHuHspbjk

कोमल (हिंदी) = https://www.youtube.com/watch?v=Sf18D5hCMa8

विद्यालय फिल्म को डाउनलोड कर सकते हैं या ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं, सभी कक्षाओं की विद्यालयी सभा के समय इसे प्रसारित करने को वरीयता दें। विद्यालय से यह अपेक्षित हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी इस शिक्षाप्रद एवं सूचनात्मक फिल्म को देखे, इससे न केवल वह आत्मरक्षा करने के लिए बेहतर स्तिथि में होगा बल्कि कुछ परिस्तिथियों में यदि कभी ऐसा होता है तो वह अपने मित्रों की मदद भी कर सकेगा।

इसके साथ ही एन.सी.पी.सी.आर. ने पॉक्सो से संबंधित ई-बॉक्स विकसित किया है। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध की आसान एवं प्रत्यक्ष सूचना स्वयं बच्चों के द्वारा प्रेषित करने में पॉक्सो ई-बॉक्स सहायता करता है जिससे पॉक्सो अधिनियम - 2012 के अधीन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि पॉक्सो पर आधारित ई-बॉक्स को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएँ/ कार्यवाही करें :

- **अभिभावक-शिक्षक की बैठक में पॉक्सो पर आधारित ई-बॉक्स एवं बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया जाए।**
- **विद्यालय की दीवारों पर / विद्यालय की पत्रिका में / सूचना-पट पर ई-बॉक्स की जानकारी को अवश्य स्थान दें।**
- **विद्यालय के परामर्शदाताओं को ई-बॉक्स के बारे में जागरूक किया जाए।**
- **सभा के दौरान सभी विद्यार्थियों को ई-बॉक्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया जाए।**

प्रयास के लिए आपके बहुमूल्य समर्थन की प्रतीक्षा में।

(डॉ. बिश्वजीत साहा)
अपर निदेशक (शै.अ.प्र.एवं न.)